E.D.S

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर
पत्रांकःसा0—3887/ मी0क्षे0/33/दिनांक,मीरजापुर, फरवरी 14, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट—सोनभद्र।

विषयः— जनपद—सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 (रेनुसागर पावर डीविजन) रेनुसागर को 132के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तान्तरित 38.2591 हे0 आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षो (09.02.2016 से 08.02.2041तक) के लिए नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04/68/2019/एफ0सी0/244 दिनांक 14.08.2019, उ0प्र0शासन का पत्रांक 131/81—2—2019—145 (233)/64 दिनांक 27.09.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1136/11—सी दिनांक 06.12.2019 एवं पत्रांक 1560/11—सी दिनांक 04.02.2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 3661/मी0/33/दिनांक 04.02.2020 एवं आपका पत्रांक 2787/रेनुकूट /15—28 दिनांक 06.02.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयक के सम्बन्ध में आप द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 2519/ऐनुकूट/15—28 दिनांक 22.01.2020 द्वारा प्रेषित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज केवल एक वर्ष का लिया गया है जो भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना अद्यतन समयावधि तक ब्याज सहित समाहित करते हुए संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त के आलोक में पुनः अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 06.02.2020 द्वारा प्रेषित प्रश्नगत मामले की गणना में 5 वर्ष के ब्याज की गणना की गयी है जो भारत सरकार के गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 के अनुरूप नहीं है।

अतः भारत सरकार के गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना अद्यतन समयावधि तक ब्याज समाहित करते हुए संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संस्तुति सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर